

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 के नियम 31(ख) के प्राधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा बैठक दिनांक 17.02.2023 में की गई अनुशंषानुसार प्राध्यापक-स्कूल शिक्षा से उप-प्राचार्य एवं समकक्ष पद (अनुसूची-1) पर निम्नांकित कार्मिकों के विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण इनका चयन संबंधी निर्णय बन्द लिफाफे में रखा गया था।

कार्मिकों के विरुद्ध विचाराधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त/प्रत्याहरित किए जाने के फलस्वरूप इनके चयन संबंधी निर्णय का बन्द लिफाफा खोला जाकर इनके नाम के सामने कॉलम 10 में अंकित रिक्ति तिथि के प्रति उप-प्राचार्य उमावि एवं समकक्ष (अनुसूची-1) पद पर चयन किया जाता है:-

क्र. स.	वरिष्ठता क्रमांक	वरिष्ठता अवधि	नाम कार्मिक मय पद	जन्म तिथि	लिंग	वर्ग	डीपीसी वर्ष	चयन वर्ग	चयन तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	716	2014-15	Shanti Lal Choubisa, Lec-Hiindi	19-07-1963	M	-	2022-23	UR	04-08-2022
2	8285	2015-16	Rajesh Meena, Lec-Hindi	30-07-1984	F	ST	2022-23	ST	04-08-2022
3	68	2016-17	Sushil Kumar Tak, Lec-Eng.	09-11-1967	M		2022-23	UR	04-08-2022

उक्त कार्मिकों के पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था-डीपीसी/प्रभाग-2/उपप्राचार्य/2022-23
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक : 02/03/2023

1. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान, जयपुर
4. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा।
7. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन अनुभाग, कार्यालय हाजा।
8. संस्थापन-एबी अनुभाग, कार्यालय हाजा को पदस्थापन से संबंधित आगामी कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित कार्मिक।
10. रक्षित पत्रावती



जिला शिक्षा अधिकारी(डीपीसी)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 के नियम 31(ख) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा बैठक दिनांक 17.02.2023 में की गई अनुशंषानुसार प्राध्यापक-स्कूल शिक्षा से उप-प्राचार्य एवं समकक्ष पद (अनुसूची-1) पर निम्नांकित कार्मिक के विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन होने की सूचना के कारण इनका चयन संबंधी निर्णय बन्द लिफाफे में रखा गया था।

कार्मिक के विरुद्ध वास्तविक रूप से अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन नहीं होने के फलस्वरूप इनके चयन संबंधी निर्णय का बन्द लिफाफा खोला जाकर इनके नाम के सामने कॉलम 10 में अंकित रिक्ति तिथि के प्रति उप-प्राचार्य उमावि एवं समकक्ष (अनुसूची-1) पद पर चयन किया जाता है:-

क्र. स.	वरिष्ठता क्रमांक	वरिष्ठता अवधि	नाम कार्मिक पद	जन्म तिथि	लिंग	वर्ग	डीपीसी वर्ष	चयन वर्ग	चयन तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	176	2014-15	Ramavatar Sharma, Lec-Sans.	02-06-1963	M		2022-23	UR	04-08-2022

कार्मिक के पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक 02/03/2023

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था-डीपीसी/प्रभाग-2/उपप्राचार्य/2022-23
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान, जयपुर
4. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा कों प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा।
7. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन अनुभाग, कार्यालय हाजा।
8. संस्थापन-एवी अनुभाग, कार्यालय हाजा को पदस्थापन से संबंधित आगामी कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित कार्मिक।
10. रक्षित पत्रावली

जिला शिक्षा अधिकारी(डीपीसी)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर